

पत्र सं०:वैट/विधि-1(2)(08-09)-दूतावास रिफंड- 1294/0809/08 /वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश  
(विधि अनुभाग)  
दिनांक :: लखनऊ :: मार्च 25, 2009

**उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की  
धारा-40 की उपधारा(6) के अन्तर्गत आदेश**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-40 की उपधारा(6) में भारत स्थित डिप्लोमेटिक मिशन या कौंसलावास के अधिकारी को उनके द्वारा कय किये गये माल पर दिये गये कर की वापसी के प्राविधान किये गये हैं जो निम्न प्रकार है :-

(6) जहाँ किसी माल के विक्रय के सम्बन्ध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा कर की कोई धनराशि,-

(क), .....

(एक) भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या दूतावास के किसी अधिकारी या कार्मिक से; या

(दो) संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य तत्समान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जो किसी ऐसे समझौते जिसका भारत एक पक्ष हो, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रसुविधाओं से हकदार हो, का अधिकारी या कार्मिक से ; या

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) या उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट किसी राजदूत या किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संघ के राजनयिक एजेन्ट से,- वसूल की गयी हो, और जहाँ ऐसे अधिकारी, कार्मिक, दूतावास या एजेन्ट ने अपने लिए या ऐसे मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संघ के प्रयोजन के लिए माल कय किया हो, तो ऐसे अधिकारी, कार्मिक, एजेन्ट या संयुक्त राष्ट्र संघ या संघ ने यथा प्रयोज्य धारा-22 की उपधारा (1) के अधीन कर बीजक या उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विक्रय बीजक विहित रीति में प्रस्तुत करने के पश्चात् उससे वसूल की गयी कर की धनराशि की वापसी का दावा किया है तो कमिश्नर या उसके द्वारा इस निमित्त कोई प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी, कार्मिक, राजदूत या ऐसे मिशन के संयुक्त राष्ट्र संघ या संघ के एजेन्ट को ऐसी धनराशि वापस करेगा ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-40 की उपधारा(6) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, दिल्ली/नई दिल्ली स्थित राजदूत या किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संघ के राजनयिक एजेन्ट को देय वापसी की धनराशि की वापसी के लिए डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, गाजियाबाद को तथा दिल्ली/नई दिल्ली से अन्यत्र स्थित राजदूत या किसी मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य संघ के राजनयिक एजेन्ट को देय वापसी की धनराशि की वापसी के लिए डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, लखनऊ को अधिकृत करता हूँ ।

(अनिल सैत)


कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एच०एन० राव/श्री एस०सी० द्विवेदी संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०।
4. समस्त एडी० कमि० ग्रेड-१, एडी०कमि० ग्रेड-२/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

  
(अनिल संत)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।